राजस्व अपील संख्या 362/2018
अनवान
समशेर खां के का0मुकाम बनाम कासम खां के का0मुकाम वगैरा

दिनांक 15–01–2021

पत्रावली मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24–12–2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 मे उल्लेख किया कि ग्राम घाणेराव तहसील देसूरी स्थित खसरा नंबर 2247 एवं 2248 अपीलांट समशेर खां पुत्र रसूल खां के खातेदारी की भूमि है । इस भूमि के दक्षिण मे चिपते ही खसरा नंबर 2133 रकबा 0.96 हेक्टेयर भूमि आई हुई है । यह भूमि सेटलमेंट के समय से सरकारी भूमि दर्ज है। इस भूमि के 0.72 हेक्टेयर भाग पर सेटलमेंट के समय से अपीलांट समशेर खां का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट समशेर खां के विरूद्ध तहसीलदार देसूरी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। खसरा परिवर्तन संवत् 2051, 2052, 2053, 2054, 2061 मे अपीलांट समशेर खां का कब्जा काश्त दर्ज है ।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 मे उल्लेख किया कि दिनांक 25–8–2005 को रेस्पो0 कासम खां एवं उसके लडको ने अपीलांट को भूमि खसरा नंबर 2133 से बेदखल करने की धमकी दी तो अपीलांट समशेर खां ने उपखण्ड अधिकारी देसूरी के न्यायालय मे दिनांक 2–9–2005 को घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया, उक्त राजस्व वाद का रेस्पो0 कासम खां वगैरा की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसमे उन्होने कथन किया कि प्रतिवादी कासम खां ने उपखण्ड अधिकार देसूरी के न्यायालय मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे राजस्व विविध मुकदमा संख्या 29/02 निर्णय दिनांक 3–10–2002 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी मे भूमि खसरा नंबर 2133 रकबा 0.96 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 2255 रकबा 1.59 हैक्टेयर रेस्पो0 प्रतिवादी कासम खां के खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश दे दिया, जिसकी पालना मे नामांतरकरण स्वीकार किया जाकर यह भूमि कासम खां की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई । उपखण्ड अधिकारी देसूरी के उक्त आदेश की जानकारी होने पर समशेर खां ने माननीय न्यायालय मे अपील पेश की है ।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 मे उल्लेख किया कि समशेर खां के पिता का नाम रसूल खां है लेकिन सहवन से/गलती से समशेर खां के पिता का नाम चांदखां लिख दिया गया जबकि इस अपील से पूर्व मे किये गये वाद एवं अन्य कार्यवाहियो मे समशेर खां के पिता का नाम रसूल खां ही लिखा हुआ है । राजस्व रेकर्ड खसरा परिवर्तनशील संवत 2051, 2052, 2053, 2054, 2061 मे भी समशेर खां के पिता का नाम रसूल खां ही लिखा हुआ है । इसी प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र पर 1995, आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी मे समशेर खां के पिता का नाम रसूल खां ही लिखा हुआ है । इस प्रकार अपीलांट समशेर खां रसूल खां का पुत्र है तथा समशेर खां के कायम मुकाम रसूल खां के पोत्र है । अतः अपीलांटगण की अपील मे समशेर खां

लगातार-- 2

की वल्दियत चांद खां के स्थान पर रसूल खां संशोधित करना चाहते है ।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 मे उल्लेख किया कि अपील मे समशेर खां की वल्दियत चांदखां से रसूल खां किये जाने से रेस्पो0 को किसी प्रकार की हानि या पक्षपात नही होगा, क्योंकि अपील मे निर्णय किये जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि समशेर खां के कब्जे काश्त की सरकारी भूमि को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कासम खां की खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता था या नही ।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 मे उल्लेख किया कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशो के अनुसार इस अपील का सही निर्णय करने के लिए अपील मे समशेर खां की वल्दियत चांदखां के स्थान पर रसूल खां किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है ।

अंत मे उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार करने का निवेदन किया ।

उक्त प्रार्थना पत्र का पदवार लिखित जवाब रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28–12–2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 मे लिखे गये तथ्यो को सरासर गलत एवं मनघडंत बताया जिसमे खसरा नंबर 2133 रकबा 0.96 हेक्टेयर समशेरखां पिता चांदखां व समशेरखां पिता रसूलखां का कब्जा काश्त कभी भी नही था और यह कृषि भूमि रेस्पो0 संख्या 2 से 7 के पूर्वज कासमखां के पुश्तैनी खातेदारी की होना बताया । समशेरखां पिता चांदखां या समशेरखां पिता रसूलखां की खातेदारी की भूमि ग्राम घाणेराव के खसरा नंबर 2247 व 2248 की नही है जिसके संबंध मे अपने जवाब के साथ खसरा नंबर 2247 व 2248 की जमाबंदी पेश की जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट समशेरखां पुत्र चांदखां या समशेरखां पुत्र रसूलखां की खातेदारी की भूमि कभी नही रही है । सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 2133 के पुराने खसरा नंबर 367 मी की भूमि रेस्पो0 संख्या 2 कासमखां की खातेदारी पुश्तैनी भूमि है जिसके संबंध मे संवत 2018 से 2021, संवत 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2030 से 2033, 2034 से 2037 अवलोकनार्थ प्रस्तुत की है ।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 के जवाब मे कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के पेज संख्या 5 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट दिनांक 7–6–2019 से यह पूर्णतया स्पष्ट था कि अपीलांट समशेर खां पिता चांद खां के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम घाणेराव मे नही है तथा न्यायालय द्वारा भी जरिये डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, लिफाफा पुनः लौटकर न्यायालय मे आया, जिस पर यह नोट अंकित किया हुआ है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति घाणेराव मे निवासी नही है, जो कि न्यायालय की पत्रावली पर लिफाफा उपलब्ध है। जवाब मे यह भी उल्लेख किया कि उपखण्ड अधिकारी देसूरी के आदेश दिनांक 3–10–2002 की अपील माननीय न्यायालय मे समशेर खां पिता चांद खां के नाम से एक अजनबी व्यक्ति द्वारा फर्जी तौर से पेश की गई जिसका पूरा वर्णन पद संख्या 3 मे दिया हुआ है ।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 के जवाब मे वर्णित तथ्य गलत होना बताया तथा जवाब मे उल्लेख किया कि अपीलांट समशेर खां के पिता चांद खां के नाम से अपील मीमो व अपील मीमो के साथ शपथ पत्र , वकालातनामा व धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना

लगातार... 3

पत्र व शपथपत्र मे अपीलांट के पिता का नाम चांदखां लिखा गया है व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की तमाम कार्यवाहियो मे भी प्रत्यर्थी समशेर खां पिता चांद खां के नाम से ही कार्यवाहीया चली एवं इस संबंध मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे भी अपीलांट कासम खां ने एतराज के जरिये प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश किया था। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी मे वर्णित तथ्यो बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय मे स्पष्ट रूप से निर्णय दिनांक 7–5–18 के पेज संख्या 2 के अंतिम पद से पेज संख्या 5 के अंतिम पद मे वर्णित किया गया है, जिससे अब उन्ही तथ्यो पर पुनः निर्णय नही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति मे अब यह नही कहा जा सकता है कि अपील मे सहवन से गलती से समशेर खां के पिता का नाम चांद खां लिख दिया गया हो बल्कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे समशेर खां पिता चांदखां के नाम को ही रखने का निवेदन समशेर खो पिता चादंखो के अधिवक्ता ने निर्णय के पेज नंबर 3 मे स्वीकार किया है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष समशेर खां की वल्दियत चांदखां होने के आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकर कर निरस्त नही किया जा सकता है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का खारीज किया जाये ।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 के जवाब मे वर्णित तथ्य को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि समशेरखां की वल्दियत चांदखां से रसूलखां किये जाने से अपीलांट की शख्सियस बदल जायेगी, विधि अनुसार जहां शख्सियत बदलती है वहां पर करेक्शन नही किया जा सकता है । करेक्शन केवल टाईपिंग त्रुटि को ही किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त करेक्शन संभव नही है ।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 के जवाब मे उक्त पैरा मे वर्णित तथ्यो को गलत बताते हुए कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशो के अनुसार निर्णय के प्रेज 5 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे प्रथम निर्णय अपीलांट समशेरखां पिता चांदखां के संबंध मे मात्र तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट पर ही करना है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी प्रार्थना पत्र के जवाब के अतिरिक्त कथन किया है कि इस प्रकरण मे समशेरखां पिता रसूलखां के वारिसान को सुनने या सबूत रेकर्ड पेश करने का निर्देश बोर्ड द्वारा थर्ड पार्टी के लिए नही दिया गया है । इस प्रकरण मे समशेर खां पिता रसूल खां अपीलांट या रेस्पो0 नही है बल्कि थर्ड पार्टी है ।

वकील रेस्पो0 ने अपने जवाब मे यह भी उल्लेख किया है कि समशेरखां पुत्र चांदखां के वारिसान नही है यानि अभी जिनका वकालातनामा पेश किया गया है वो चांदखां के सगे पोते नही है बल्कि सेमशेरखां के कायम मुकाम अपीलांट रसूलखां के पोते है। इस संबंध मे अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र. के पेज नंबर 3 मे स्वीकार किया है । जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी समशेरखां पुत्र चांदखां के वारिसान नही है ।

वकील रेस्पो0 ने अपने जवाब मे उल्लेख किया है कि शेमशेरखां पुत्र चांदखां के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु काई प्रार्थना पत्र विधि अनुसार समय पर पेश नही किया है जिससे भी यह अपील खारीज योग्य है । शमशेरखां की मृत्यु हुए 6 वर्ष हो चुके है ।

लगातार---4

वकील रेस्पो0 ने अपने जवाब मे यह भी कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 7 के परिवार अलग अलग है, गोत्र भी अलग–अलग है । अपीलांट की गौत्र शेख है जबकि रेस्पो0 संख्या 2 से 7 का गौत्र पठान (पिन्जारा) है । वकील रेस्पो0 ने अपने जवाब मे दोनो परिवार अपीलांटगण एवं रेस्पो0 के परिवार का सजरा पेश कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की मौखिक बहस एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रत्युत्तर का भी गौर से अध्ययन किया तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–5–2018 एवं उसमे दिये गये निर्देशो का भी पुनः ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की अनुपालना मे इस न्यायालय हाजा से तहसीलदार देसूरी से तलब की गई रिपोर्ट का भी अध्ययन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी मे मुख्य कथन यह है कि अपीलांट समशेर खां के पिता का नाम रसूल खां है लेकिन अपील मे सहवन/गलती से समशेर खां के पिता का नाम चांद खां लिख दिया गया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त अपील मे अपीलांट समशेर खां की वल्दियत चांदखां के स्थान पर रसूल खां का संशोधन करने की इस्तदुआ की गई है ।

इस न्यायालय मे वर्ष 2006 मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के शपथ पत्र मे, अपील पेश करने की अनुमति प्रार्थना पत्र के शपथ पत्र आदि सभी मे अपीलांट समशेर खां पुत्र चांदखां मुसलमान निवासी घाणेराव के नाम एवं वल्दियत का उल्लेख किया हुआ है, तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–1–2008 मे भी अपीलांट समशेर खां के पिता का नाम चांदखां मुसलमान निवासी घाणेराव ही दर्ज है ।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–1–2008 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0गण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी संख्या 1344/2008 मे भी समशेरखां के पिता का नाम चांदखां का ही उल्लेख करते हुए पेश की थी तथा माननीय सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–5–2018 मे भी समशेरखां पुत्र चांदखां जाति मुसलमान निवासी घाणेराव का ही उल्लेख किया गया है ।

वर्तमान रेस्पो0गण कासमखां के कायम मुकाम बरकतखां वगैरा की ओर से माननीय राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र मे प्रकट किये गये तथ्यो के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 7–5–2018 मे यह माना है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील फर्जी तौर पर अजनबी व्यक्ति के रूप मे प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–1–2008 प्राप्त किया है, जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 7–5–2018 के द्वारा निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण (वर्तमान रेस्पो0गण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का स्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि "अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1

लगातार--5

समशेरखां वल्द चांदखां निवासी घाणेराव बाबत तहसीलदार से रिपोर्ट तलब करें कि उक्त वल्दियत का व्यक्ति ग्राम घाणेराव मे निवासी करता है अथवा नही, रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत उक्त अपीलार्थी समशेरखां वल्द चांद खां को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का वैद्यानिक अधिकार प्राप्त है अथवा नही, के बाबत विधिसम्मत आदेश पारित करें, तत्पश्चात अपील के गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।"

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–5–2018 मे दिये गये निर्देशो के क्रम मे इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार देसूरी से इस आशय की रिपोर्ट तलब की गई कि "ग्राम घाणेराव मे समशेरखां वल्द चांदखां जाति मुसलमान नाम का व्यक्ति ग्राम घाणेराव मे निवास करता है या नही, इस बाबत पुख्ता जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करें"। जिस पर तहसीलदार देसूरी ने उनके पत्र क्रमांक राजस्व/19/932 दिनांक 3–9–2019 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया कि इस बाबत पुख्ता जांच भू अभिलेख निरीक्षक देसूरी से करवाई जाकर ग्राम घाणेराव मे लोगो से पुछताछ एवं जांच करने पर बताया कि – समशेरखां पुत्र चांदखां कौम मुसलमान के नाम से कोई व्यक्ति नही है परंतु लोगो ने बताया कि उक्त नाम गलत है, सही नाम समशेरखां पुत्र रसुलखां कौम मुसलमान होना बताया । जो समशेरखां पुत्र रसुलखां कौम मुसलमान फौत हो चुका है जिसके वारिसान 1– इलियासखां पुत्र समशेरखां 2–अनवारखां पुत्र समशेरखां 3– रजिया बानू पुत्री समशेरखां 4– अफरोज पुत्री समशेरखां 5– सुगरा बेगम बेवा समशेरखां होना बताया ।

तहसीलदार देसूरी से जब इस बाबत रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी कि ग्राम घाणेराव मे समशेरखां पुत्र चांदखां जाति मुसलमान नाम से कोई व्यक्ति नही है तो न्यायालय हाजा से आदेशिका दिनांक 28–11–2019 के द्वारा अन्य नाम के समशेरखां वल्द रसुलखां मुसलमान के वारिसान को नोटिस जारी ही नही किया जाना चाहिये था बल्कि उसी स्टेज पर ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय मे दिये गये निर्देशो के क्रम मे अपीलांट समशेरखां वल्द चांदखां को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का वैद्यानिक अधिकार प्राप्त था अथवा नही, इस बिन्दु पर तत्समय ही निर्णय पारित कर देना चाहिये था परंतु ऐसा न कर तहसीलदार देसूरी की रिपोर्ट मे उल्लेखित समशेरखां पुत्र रसुलखां कौम मुसलमान फौत के वारिसान को नोटिस जारी कर विवाद को और आगे बढा दिया तथा समशेरखां पुत्र रसूलखां के वारिसान की ओर से अधिवक्ता ने इस न्यायालय मे उपस्थिति दे दी है तथा अपीलांटगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 24–12–2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर वर्तमान अपीलांट के पिता स्व0 समशेरखां की वल्दियत चांदखां के स्थान पर रसूलखां संशोधित करने का निवेदन किया है ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट समशेरखां की वल्दियत चांदखां से रसूलखां बदलने का कानूनी अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का अस्वीकार किया जाता है । साथ ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय मे दिये गये निर्देशो के क्रम मे अपीलांट समशेरखां के पिता

का नाम चांदखां मुसलमान निवासी घाणेराव नही होने से अपीलांट को वर्तमान अपील पेश करने का वैद्यानिक अधिकार नही होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को इसी स्टेज पर ही खारीज किया जाता है।

अपीलांटगण यदि स्वयं को समशेरखां वल्द रसूलखां मुसलमान निवासी घाणेराव होने का कथन करते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय से उनके स्व0 पिता समशेरखां के पिता अर्थात अपीलांटगण के दादा का नाम चांदखां के स्थान पर रसूल खां करवाने की कार्यवाही करनी होगी ।

चूँकि वर्तमान प्रकरण मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय के क्रम मे अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित नही किया गया है । इस प्रकण मे उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 3—10—2002 के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार प्रथमदृष्ट्यिां तहसीलदार देसूरी को तथा वर्तमान अपीलांटगण को है ।

वर्तमान अपीलांटगण जो स्वयं को समशेरखां वल्द रसूल खां मुसलमान निवासी घाणेराव के वारिसान होना बताते है और अपील प्रस्तुत करने हेतु अपना विधिक अधिकार मानते है तो समशेरखां वल्द रसूल खां मुसलमान निवासी घाणेराव के नाम से पृथक से नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर